राजस्थान सरकार
वित्त (मार्गोपाय) विभाग

क्रमांकःप.16(1)वि.मा./2017 जयपुर, दिनांक 21 अप्रेल 2017

अधिसूचना

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान पत्रांक एफ.7(2)(5)पंचा /रानिआ/2016/1162 दिनांक 18.04.2017 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 31.03.2017 के अनुसार धौलपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र–79 के उप चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए आयोग द्वारा धौलपुर जिले में नगरपालिका राजाखेड़ा के वार्ड संख्या–17 एवं पंचायत समिति बसेड़ी के वार्ड संख्या–15 के सदस्य तथा दो सरपंच एवं पांच पंचों हेतु उपचुनाव पूर्व निर्धारित तिथि में संशोधन किया गया है। नवीन कार्यक्रम अनुसार उपचुनाव दिनांक 23.04.2017 (रविवार) को होना निर्धारित किया गया है। इस सन्दर्भ में भारत सरकार के गृह मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या 20/25/56 पब./1 दिनांक 8 जून, 1957 के साथ पठित, परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 (1881 का अधिनियम 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण के अधीन राजस्थान के राज्यपाल एतदद्वारा घोषणा करते हैं कि धौलपुर जिले में नगरपालिका राजाखेड़ा के वार्ड संख्या–17 एवं पंचायत समिति बसेड़ी के वार्ड संख्या–15 के सदस्य तथा दो सरपंच एवं पांच पंचों के उप चुनावों में मतदान होने की स्थिति में, दिनांक 23.04.2017 (रविवार) को संबंधित मतदान क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में परक्राम्य लिखित अधिनियम (NI Act) 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

(शरद मेहरा)
निदेशक (बजट)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान
(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांकः एफ.7(2)(5)पंचा/रानिआ/2016/1203 जयपुर, दिनांकः 21/4/17

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) (पंचायत) धौलपुर राजस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

21/4/2017
(अशोक कुमार जैन)
सचिव